



प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, उ० प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस, उ० प्र०।
4. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ० प्र०।
5. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली



(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]




कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 104 / हाथरस / 15288 / 2015, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 17, 2017

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख सी०डी० सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, से०-3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(डा० प्रशान्त कुमार शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ० प्र०, लखनऊ।



Handwritten signature and date: 07/11/17

वन संरक्षक (कन्द्रीय)
(बन संरक्षण)

भारतीय

के नाम, मोहर एवं दिनांक सहित प्रस्तुत करें।

1. प्रस्ताव में एलियूरेक गुंथारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की .kml file polyline format में दी गयी है।
2. प्रस्तावित वन भूमि के भूसंदर्भित भागविषय में curved portion के Geo Coordinates नहीं दिये गये हैं।
3. GIS DSS Analysis के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि का कुछ भाग विद्यमान भूमि में आ रहा है, स्पष्ट करें।
4. प्रस्तावित रिटल आउटलेट का प्रवेश एवं निकाल भूमि का ले आउट क्लान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग प्रस्ताव की गयी अनुपालना आख्या में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अलग अलग दरतावेदों में प्राधिकृत
5. हस्ताक्षरी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं है। अतः अनुपालन आख्या से संबंधित दरतावेद प्राधिकृत हस्ताक्षरी

वां सके-

प्रस्ताव का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न दिनांकों पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
 प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त सूची आपकी यह सूचित समसंख्यक पत्र दिनांक- 13.05.2016 द्वारा आवश्यक सूचना माँगी गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयानुसार प्रकरण में इस कार्यालय के सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 2884/14-2-2016-800 (36)/2016, दिनांक- 05.06.2017

विषय: जंगल ह्रास में पीलीभीत-भरतपुर भाग (एफओए-33) किमी 219 से 220 के मध्य बांयी पट्टी पर गाम-होरास देहात के खसरा संख्या-176 में एरर आइल लो द्वारा विकसित किये जा रहे रिटल आउटलेट के संपर्क भूमि निर्माण हेतु 0.02775 हे० संरक्षित वनभूमि का विना गुंथ पान के तौर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

विशेष सचिव (वन),
 उत्तर प्रदेश शासन,
 बापू भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and date: 07/11/17
 07/11/17
 06/40/2016/एफओए/127

दिनांक : 07/11/17

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Alligani, Lucknow-226024, (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimcoefroiko@gmail.com
 Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimcoefroiko@gmail.com

कन्द्रीय भवन, पंचम तल, सीटल-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Regional Office (Central Region)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

परावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

